an>

Title: Need to appoint teachers in primary schools of Uttar Pradesh.

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश में 4 लाख 86 हजार रिक्तियों का विषय उठाना चाहता हूं।

भारतीय संविधान के 86वें संशोधन द्वारा स्थापित अनुच्छेद 21 (ए) के सृजन से संसद द्वारा पारित व महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा अनुमोदित "नि:शुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009" की धारा 23 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई.) को शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु पात्र व्यक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताओं का निर्धारण करने वाले शैक्षिक प्राधिकरण के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

दिनांक 23-08-2010 (यथा संशोधित दिनांक 29-07-2011) को एन.सी.टी.ई. ने सभी राज्यों के शिक्षा सचिवों व शिक्षाविदों के परामर्श से शिक्षक नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताओं का निर्धारण करते हुए अधिसूचना जारी की गयी है जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता के लिए बी.एड. परीक्षा (टी.ई.टी.) उत्तीर्ण करना अत्यावश्यक व अनिवार्य किया गया, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने इसे 416/2012 में संवैधानिक घोषित किया है।

आर.टी.ई. एक्ट 2009 की धारा 25(1) एक्ट के लागू होने के 6 माह के भीतर समस्त राज्यों के परिषदीय विद्यालयों में निर्धारित छात्र-शिक्षक अनुपात (30.1) की पूर्ति हेतु रिक्त शिक्षक पदों पर टी.ई.टी. उत्तीर्ण प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्ति अनिवार्य किया गया व किसी भी दशा में शिक्षकों के पद रिक्त न रहने के स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

उपरोक्त अनिवार्य संवैधानिक प्रावधानों व माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न सख्त आदेशों की अवमानना करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार रिक्त शिक्षक पदों पर वर्ष 2011 से उपलब्ध 2 लाख टी.ई.टी. उत्तीर्ण प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं कर रही है जबकि प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में 4.86 लाख से अधिक शिक्षक पद रिक्त हैं। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि आवश्यक निर्देश जारी करके उक्त अध्यापकों की शीघ्र नियुक्ति करायी जाए।

माननीय अध्यक्ष :

श्री भैरों प्रसाद मिश्र,

कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल और

श्री शरद त्रिपाठी को श्री अजय मिश्रा टेनी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।